कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा अम्बिकापुर–2, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक/422/आ0बा0नियु0/बा0वि0परि0/2026–27 दरिमा दिनांक 13.11.2026

आंगनबाड़ी सहायिका के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

बाल विकास परियोजना दरिमा अम्बिकापुर–2 के अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहायिका के पद पूर्ति पदों पर खुली भर्ती के माध्यम से छ0ग0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन रायपुर के पत्र क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50,रायपुर दिनांक 2.4.2008 में विहित एवं समय–समय पर शासन द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जारी निर्देशों के अनुसरण में निम्न तालिका में दर्शित पदों की पूर्ति हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय बेवसाइड https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

पूर्ति किये जाने वाले रिक्त पदों की तालिका

आंगनबाड़ी सहायिका 01 पद

क्र0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	सेक्टर का नाम	पंचायत का नाम	रिक्त आ0बा0 केन्द्र का नाम	रिमार्क
1	आंगनबाड़ी सहायिका	01	नवानगर	टपरकेला	टपरकेला 02	

आवेदन कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा अम्बिकापुर–2 जिला–सरगुजा (छ0ग0) में **दिनांक 16.11.2026 से 30.11.2026** तक दिये गये ऑनलाईन बेवसाइड https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन के माध्यम स्वीकार किये जावेगें। **(ऑफलाईन व डाक/कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माने जावेगे।)**

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद **केवल महिलाओं के लियें** ही होंगे।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद **पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय** है। इन्हे केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
3. **आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं हैं :–**

i आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका आवेदिका की **आयु 18 से 44 वर्ष** के मध्य होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आंमत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सहसहायिका/ संगठिका /शिशु शिक्षा केन्द्रों की शिक्षिका/सहायिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)।

ii **आवेदिका उसी ग्राम पंचायत की निवासी होना चाहिए** जिसमे संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र में पद रिक्त है ।

iii निवासी होने के प्रमाण में (अ) ग्रामीण क्षेत्र होने पर संबंधित सरपंच की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगायी जावे अथवा (ब) ग्रामीण निकायों में सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित **स्पष्ट उल्लेख** हो मान्य किया जावेगा।

iv आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

Scanned with OKEN Scanner

1	आंगनबाडी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वीं उत्तीर्ण
2	आंगनबाडी सहायिका पद हेतु	8 वीं उत्तीर्ण

टीप :– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 10वीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर 8वीं उत्तीर्ण एवं उसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर 5वीं उत्तीर्ण रखी जावेगी। **(8 वीं की ग्रेडिंग वाली अंकसूची होने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानपाठक से प्रमाणित अंक तालिका अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।**

v अनुभवी कार्यकार्ता/सहायिका/सहसहायिका/संगठिका/शिशु शिक्षा केन्द्र की शिक्षिका /सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे।

vi गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को अतिरिक्त प्रवाधान है नियुक्ति निर्देश की कण्डिका 3(5) तथा 5(5) अनुसार प्रभावशील सूची शब्द अंकित है इस संबंध में संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर के पत्र क्र/8513/दिनांक 15.01.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आकड़े का उपयोग करना है अतः गरीबी रेखा के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी गरीबी रेखा प्रमाण पत्र (समाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आधार पर) वह SECC परिवार सूची 1. वंचन सूचकांक 2. स्वतः शामिल सूचकांक, में शामिल परिवार होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, SECC परिवार सूची एवं वर्तमान राशन कार्ड परिवार सूची संयुक्त रूप से जमा करने पर ही निर्धारित अंक का लाभ दिया जावेगा।

vi दावा आपत्ति के समय नवीन दस्तावेज स्वीकार नही किए जावेंगे।

6. **सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित कर लगाये जावेंगे।**

टीप :– 1. रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी (आंगनबाड़ी केन्द्रवार) तथा नियुक्ति की विस्तृत शर्ते, अर्हताओं के लिये विभागीय वेबसाइड https://aww.e-bharti.in/ में अथवा **कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियेाजना दरिमा अम्बिकापुर–2/जनपद पंचायत अम्बिकापुर के सूचना पटल** से प्राप्त की जा सकती है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा
अम्बिकापुर–2, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

पृ0क्रमांक/423/आ0बा0 नियु0/बा0वि0परि0/2026–27 दरिमा अम्बिकापुर–2, दिनांक 13.11.2026

प्रतिलिपि :–

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सरगुजा अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
2. जनपद पंचायत अम्बिकापुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त सूचना/रिक्त स्थानों की केन्द्रवार जानकारी एवं नियुक्ति संबंधी शर्तो को सूचना पटल पर चस्पा कर प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय अम्बिकापुर को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner

4. सर्व संबंधित ग्राम पंचायत ..... को सूचनार्थ कर निवेदन है कि कृपया वार्ड में पद रिक्तता संबंधी मुनादी कराने का कष्ट करें।

5. संबंधित शाखा प्रभारी, बाल विकास परियोजना दरिमा अम्बिकापुर–2 जिला–सरगुजा (छ0ग0) को सूचनार्थ कर लेख है कि कार्यालय नोटिस बोर्ड में सूचना चस्पा करें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा
अम्बिकापुर–2, जिला सरगुजा(छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा अम्बिकापुर–2, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

आ0बा0 कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति हेतु शर्तें एवं अर्हतायें

सामान्य शर्तें :–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी अशासकीय पद है। इन्हे शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जावेगा।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिये ही होंगे।

आयु सीमा :–

3. उपरोक्त सभी पदों के लियें आयु सीमा 18 से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की **सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी।** सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।

आयु सीमा में छूट :–

4. (क) 01 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/संगठिका/सहसहायिका/शिशु शिक्षा केन्द्रों की शिक्षिका/सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(ख) 01 वर्ष से कम अनुभव की आवेदिका को आयु सीमा की छूट की पात्रता नही होगी। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हे अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हे दोबारा सेवा में नही लिया जावेगा।

(ग) अनुभव हेतु संबंधित परियोजना के परियेाजना अधिकारी/शहरी विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के लियें जिला महिला एंव बाल विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

निवास संबंधी शर्तें :–

5. (क) जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहां पद रिक्त है, आवेदिका ग्राम पंचायत के लिये स्थानीय निवासी होना चाहिए।

(ख) आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित मे से **कोई एक** दस्तावेज संलग्न किया जावेगा।

(ग) उस **ग्राम पंचायत** की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज होतो आवेदन में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगायी जावे।

अथवा

(घ) संबंधित ग्राम पंचायत में की जाने वाली नियुक्ति में **सरपंच** एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।

(ड) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।

नोट :– यदि आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

न्युनतम शैक्षणिक योग्यता कार्यकर्ता के लिए :–

6. (क) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु न्युनतम शैक्षणिक योग्यता 12वी अथवा 11वी बोर्ड (पूर्ववर्ती) होगी, परन्तु विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार, अबूझमड़िया, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर) हेतु शासन आदेश कमांक/898/1098/2008/मबावि/50 रायपुर दिनांक 15.4.2010 के तहत शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता दी गयी। उक्त श्रेणी के आवेदिकाओं का अंक गणना 10वीं उत्तीर्ण के आधार पर की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) यदि शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में 12वीं/11वीं बोर्ड उत्तीर्ण आवेदिका का एक भी आवेदन नही आता है तो उस केन्द्र हेतु शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मानकर उस केन्द्र हेतु न्युनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं (बोर्ड) उत्तीर्ण रखी जावेगी।

(ग) इसके बाद भी किसी केन्द्र में 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण एक भी आवेदिका नही मिलती है तो शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मानकर उस केनद्र हेतु न्युनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण रखी जावेगी।

(घ) यदि 8वी उत्तीर्ण आवेदिका भी नही मिलती है तो न्युनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मानकर 5वीं उत्तीर्ण मानी जावेगी। यदि किसी केनद्र हेतु 5वीं उत्तीर्ण आवेदिका भी नही मिलती है तो जिला कलेक्टर की स्वीकृति से साक्षर महिला की भी नियुक्ति की जा सकती है।

(ड़) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल किये जाने पर मूल्यांकन करते समय मुल्यांकन प्रपत्र में 12वीं/11वी बोर्ड के लिये निर्धारित अंको के स्थान पर आवेदिका के लिये उपरोक्तानुसार लागू होने वाली शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर अंक दिये जावेंगं। **शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिये अंकसूची की स्वप्रमाणिक छायाप्रति लगाया जाना अनिवार्य होगा।**

<u>न्युनतम शैक्षणिक योग्यता सहायिका के लिए</u> :–

(च) आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु न्युनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होगी। **(ग्रेडिंग वाली अंकसूची होने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानपाठक से प्रमाणित अंक तालिका अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।)** शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजनओं में यदि सहायिका पद हेतु उपरोक्तानुसार (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु लिखें अनुसार) यदि शैक्षणिक योग्यता के कोई भी आवेदन प्राप्त नही होते हैं तो उपरोक्त कंडिका के समान ही शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उससे कम शैक्षणिक योग्यता पर भी विचार किया जावेगा। शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजनाओं में कोई शिक्षित आवेदिका न मिलने पर साक्षर महिला की भी नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी की अनुमति से की जा सकती है। सहायिका के चयन हेतु मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन प्रपत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के अनुसार अंक दिये जावेंगे।

<u>अन्य शर्तें</u> :–

7. यदि चयन प्रक्रिया से जुड़े जनप्रतिनिधि के सगे संबंधियों (छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 में परिभाषित अनुसार) एवं शासकीय सेवक के सगे संबंधियों द्वारा आवेदन किया गया हो तो वह चयन हेतु अर्ह होंगे तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं चयन प्रक्रिया से पृथक रखे और उन्हे पृथक रखा जावें

8. **अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदिकाओं हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

9. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक निर्धारित किये गयें हैं । इस हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. जिन विवाहित आवेदिकाओं के दो से अधिक जीवित संतान हैं तथा जिन्होंने नबालिक विवाह किया है वे आवेदिकाएं अपात्र मानी जावेगी। अतः विवाहित आवेदिकाओं को दो से कम संतान होने एवं नबालिक विवाह नही करने संबंधी शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

<u>स्पष्टीकरण</u> :–

Scanned with OKEN Scanner

क 1 . परित्यक्ता के संबंध में निम्न मे से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा सयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो, तो उसे प्रस्तुत किया जावे।

अथवा

न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश।

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही होतो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) **परित्यक्ता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।**

11. सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित कर लगाये जावेंगे।

12. आवेदन पत्र विज्ञप्ति के अनुसार पूर्ण रूपेण भरा हुआ एवं वाछिंत अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन पत्र होने पर बिना सूचना के आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। संलग्न दस्तावेज का सही होना अनिवार्य है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या गलती पाये जाने पर उसे अमान्य कर दिया जावेगा तथा अमान्य की सूचना नही दी जावेगी। आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के उपरांत कोई भी अन्य दस्तावेज आदि ग्रहण नही किया जावेगा। अतएवं अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे पूर्ण रूप से सही ढंग से आवेदन पत्र ऑलनाईन के माध्यम से आवेदन पत्र भरे।

13. **दावा आपत्ति के समय नवीन दस्तावेज स्वीकार नही किये जावेंगे।**

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा
अम्बिकापुर–2, जिला सरगुजा(छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा
अम्बिकापुर–2, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक / 424 / आ0बा0नियु0 / बा0वि0परि0 / 2026=27 दरिमा दिनांक 13.11.2026

प्रति,

सहायक संचालक,
जनसंपर्क कार्यालय
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा।

विषय :– प्रेस विज्ञप्ति प्रेषित करने के संबंध में।

––000––

बाल विकास परियोजना दरिमा अम्बिकापुर–2 जिला–सरगुजा (छ0ग0) के अधीन ग्राम में रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र आं0बा0 सहायिका के पद पर नियुक्ति की जानी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय वेबसाइड https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। कृपया व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उपरोक्त सूचना/विज्ञप्ति का प्रकाशन विभिन्न सामाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– प्रेस विज्ञप्ति।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा
अम्बिकापुर–2, जिला सरगुजा (छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner